न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

किरण सिंह और अन्य

अप्रैल 28, 2004

[एस.एन. वरियावा और एच.के. सेमा, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मोटर दुर्घटना – कम उम्र में यात्री की मृत्यु - 40 यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमित व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया - मुआवजे का दावा - बीमा कंपनी के साथ-साथ बैंक द्वारा प्रस्तुत पॉलिसी दस्तावेज - बैंक द्वारा पेश किया गए दस्तावेज़ पर भरोसा करते हुए अधिनिर्णय अनुदान वास्तविक साबित हुआ – उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय की पुष्टि की गई - अपील में अभिनिर्धारित, उचित रूप से मुआवजा पारित किया गया - बीमा कंपनी मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने में सक्षम नहीं है - कंपनी ने बीमित व्यक्ति के अलावा अन्य पॉलिसी की प्रति पेश करके दायित्व से बचने का प्रयास किया।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - विशेष अनुमति याचिका – क्षेत्राधिकार के तहत – दायरा - तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन – अभिनिर्धारित: ऐसे मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

27 वर्षीय एक सहायक अभियंता की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की। अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण में पॉलिसी दायर की। बैंक ने पॉलिसी की कार्बन प्रति भी दाखिल की और बैंक प्रबंधक ने अपने साक्ष्य में कहा कि पॉलिसी दस्तावेज वही था जो बैंक को अपीलकर्ता-कंपनी के माध्यम से वाहन के बीमा के प्रतीक के में प्राप्त हुआ था। 43 के गुणक का उपयोग करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत नीति पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा दिया। उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय को बरकरार रखा लेकिन ब्याज की दर को घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया। अपीलार्थी-कंपनी के साथ-साथ दावेदार ने इस न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी।

अपीलार्थी-कंपनी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा “आई.एम्.टी.13” का समर्थन करने से पहले प्रस्तुत की गई मूल नीति के अनुसार कंपनी प्रति यात्री केवल 30,000 रुपये की सीमा तक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी; कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने बैंक द्वारा प्रस्तुत नीति पर गलत तरीके से भरोसा किया। बैंक प्रबंधक जिसके पास " आई.एम्.टी.13" प्रस्ठांकन नहीं था; और 43 का गुणक गलत तरीके से लागू किया गया था।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1. नीचे के दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य के आधार पर समवर्ती निर्णय दिया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रमाण के अभाव में प्रस्तुत तथाकथित पालिसी की प्रति को वैध दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर तथ्यों के ऐसे समवर्ती निष्कर्षों को गलत नहीं कहा जा सकता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की अनुमति देता है। बैंक प्रबंधक के बयान को ध्यान में रखते हुए जो साबित करता है कि कार्बन कॉपी पॉलिसी की मूल प्रति का संकेत है, नीचे के दोनों न्यायालयों ने बैंक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत पॉलिसी की प्रति को वास्तविक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने में उचित ठहराया। बैंक प्रबंधक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पक्षकार होने के नाते, उनके साक्ष्य को दोनों न्यायालयों द्वारा विश्वसनीय और निष्पक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। यह देखा गया है कि पॉलिसी से जुड़ी अनुसूची 40 यात्रियों के जोखिम को पूरा करने के लिए 1290 रुपये के प्रीमियम के अतिरिक्त भुगतान का संकेत देती है। पालिसी के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि ऐसा कोई "आई.एम्.टी.13" प्रष्ठांकन नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है। [798-ई-एच; 799-ए-बी]

2. न्यायाधिकरण ने 43 गुणक को लागू करते समय, इस पर विचार किया था कि मृतक की आयु 27 वर्ष थी और यदि दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं हुई होती तो वह 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहता और एक दिन उसे मुख्य अभियंता के पद पर

पदोन्नत किया जाता। उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि गुणक को कम किया जाता है और गुण्य को बढ़ाया जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। अन्यथा भी यह एक सुस्थापित कानून है कि बीमा कंपनी मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। [799-सी-ई]

यू.पी. राज्य पथ परिवहन निगम बनाम त्रिलोक चंद्र, [1996] 4 एससीसी 362, संदर्भित।

3. बीमा सद्भावना का एक अनुबंध है, जिसमें दोनों पक्ष पालिसी के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान मामले में, कंपनी ने बीमित व्यक्ति के अलावा पॉलिसी की एक प्रति पेश करके दायित्व से बचने का जानबूझकर प्रयास किया है। अक्सर, नियमों और शर्तों का पालन करने से ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। बीमा कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जनता के न्यासी हैं; सार्वजनिक खजाने के रक्षक हैं। अक्सर, वास्तविक दावों का भी नियमित तरीके से पक्षकारों को न्यायालय में घसीटकर, दावेदारों के लिए अपने दावों को निपटाने के लिए भारी समय और धन बर्बाद करके कड़ा विरोध किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, जैसा अधिनियम, मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से एक लाभकारी कानून होने के नाते, बीमा कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाया जाने वाला रवैया अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि इस तरह के मामलों को न्यायालय में लाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे प्रथाओं की निंदा

करने के अलावा, भारी लागत के साथ अपील को खारिज करने के लिए बाध्य होगी।

[799-ई-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5463/1996

प्रथम अपील से आदेश सं. 955/1990 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.4.1998 से।

साथ में

सिविल अपील सं. 378/1999

प्रणब कुमार मलिक, नीरज सिंह और के.के. गुप्ता (एन.पी.), अपीलार्थी की ओर से।

नरेश कुमार शर्मा, श्रीश कुमार मिश्रा, पनाब कुमार मलिक और नीरज सिं, प्रत्यर्थियों की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया –

एच.के. सेमा, न्यायाधिपति.

ये दोनों अपील एक ही निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं और उनका निस्तारण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा सिविल अपील संख्या 5463/1998 दायर की गई थी। अधिनिर्णय के विरुद्ध और वृदि के लिए दावेदारों द्वारा सिविल अपील संख्या 3783/1999 दायर की गई थी।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

लगभग 27 वर्ष की आयु के एक युवा सहायक अभियंता की पंजीकरण संख्या यूआरएन 9428 बस में यात्रा करते समय 10.1.1988 पर एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उक्त बस का अपीलार्थी-कंपनी से बीमा कराया गया था। मृत्यु के समय मृतक 2384.50 रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा था। मृतक की पत्नी ने दावा याचिका दायर की थी। 19.5.1987 को जारी की गई पालिसी व्यापक थी और 18.5.1988 तक वैध थी। न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों और बीमा पॉलिसी पर विचार करने के बाद अपीलार्थी-कंपनी को 6,25,000 रुपये का मुआवजा और आज तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का फैंसला सुनाया। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद दोनों पक्षों द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को बरकरार रखा लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा दी लगाईं गई ब्याज की दर को 12 प्रतिशत के बजाय घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। इससे व्यथित होकर बीमा कंपनी द्वारा वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

अपीलार्थी-कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी-कंपनी द्वारा जारी मूल पालिसी में एक प्रष्ठांकन चिपका हुआ था जिसके द्वारा "आई.एम.टी.13” को पालिसी की अवधि के रूप में शामिल किया गया था और इसलिए मालिक द्वारा भुगतान किये गए प्रीमियम से प्रति यात्री मुआवजे के रूप में केवल 30,000 रुपये ही मिल सकते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि 43 यात्रियों के जोखिम को कवर करते हुए भुगतान की गई प्रीमियम राशी 1290 रुपये थी और भारतीय मोटर टैरिफ नियमों के

अनुसार कंपनी की देनदारी केवल प्रति यात्री 30,000 रुपये की सीमा तक है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष पालिसी की सही प्रति दाखिल की थी जिसमें एक प्रष्ठांकन "आई.एम टी.13" है, लेकिन न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने पालिसी की प्रति पर निर्भरता रखने में त्रुटि की है जो बैंक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत पॉलिसी की प्रति के मामले में कोई प्रष्ठांकन "आई.एम टी.13" नहीं था।

उपरोक्त तर्कों को न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था। नीचे के दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह निर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था कि अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान के साथ दायर किया गया पॉलिसी दस्तावेज़ वास्तविक था और वही बीमित व्यक्ति को जारी किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-कंपनी यह साबित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रही कि कंपनी द्वारा दायर पालिसी की प्रति वास्तविक थी। साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर तथाकथित बीमा पॉलिसी साबित नहीं हुई थी, क्योंकि कंपनी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य के आधार पर समवर्ती रूप से यह निर्धारित किया है कि प्रमाण के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित पालिसी की प्रति को वैध दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के

मूल्यांकन के आधार पर तथ्यों के ऐसे समवर्ती निष्कर्षों को गलत नहीं कहा जा सकता है, जो अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, नीचे के दोनों न्यायालयों ने पालिसी की कार्बन प्रति पर भरोसा किया है, जो वाहन के बीमा के समय बैंक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बैंक प्रबंधक से मालिक ने पूछताछ की और अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि पॉलिसी दस्तावेज वह था जो बैंक को अपीलकर्ता-कंपनी के माध्यम से वाहन के बीमा के प्रतीक के रूप में प्राप्त हुआ था। बैंक प्रबंधक के बयान को ध्यान में रखते हुए जिसने साबित किया कि कार्बन कॉपी पॉलिसी की मूल प्रति का संकेत थी, नीचे के दोनों न्यायालय को बैंक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत पालिसी की प्रति को वास्तविक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना उचित था। दूसरे शब्दों में, बैंक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत पॉलिसी की प्रति वास्तविक साबित हुई है। हमारा यह भी विचार है कि बैंक प्रबंधक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पक्षकार होने के नाते, उनके साक्ष्य को दोनों न्यायालयों द्वारा विश्वसनीय और निष्पक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। यह देखा गया है कि पॉलिसी से जुड़ी अनुसूची 40 यात्रियों के जोखिम को पूरा करने के लिए 1290 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान का संकेत देती है। यह भी देखा गया है कि अपीलार्थी-कंपनी का दायित्व असीमित है। हमने पालिसी का भी अध्ययन किया है और हमने पाया है कि ऐसा कोई प्रष्ठांकन "आई.एम्.टी.13" नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी ने दावा किया है। हम दोनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं देखते हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया गया 43 का गुणक गलत है। इस संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यू.पी. राज्य पथ परिवहन निगम बनाम त्रिलोक चंद्र, [1996] 4 एस. सी. सी. 36 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गुणक 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायाधिकरण ने 43 गुणक को लागू करते समय मृतक की आयु 27 वर्ष मानी थी और यदि उसकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई होती तो वह 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहता और एक दिन उसे मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जाता। उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि गुणक को कम किया जाता है और गुण्य को बढ़ाया जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। अन्यथा भी यह एक सुस्थापित कानून है कि बीमा कंपनी मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने में सक्षम नहीं है।

बीमा सद्भावना का एक अनुबंध है, जहां दोनों पक्ष पॉलिसी के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपरोक्त स्थिति में, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने बीमित व्यक्ति के अलावा पॉलिसी की एक प्रति पेश करके दायित्व से बचने का जानबूझकर प्रयास किया है। अक्सर, नियमों और शर्तों का पालन करने से ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। बीमा कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जनता के न्यासी हैं; सार्वजनिक खजाने के रक्षक हैं। अक्सर, वास्तविक दावों को भी नियमित तरीके से पक्षकारों को न्यायालयों में घसीट कर, दावेदारों के लिए अपने दावों का निस्तारण करने के लिए भारी समय और धन बर्बाद करके गर्मजोशी से लड़ा जा रहा

है। मोटर वाहन अधिनियम जैसा अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित निवारण के लिए है, बीमा कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाया जाने वाला रवैया अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि ऐसे मामले अदालत में लाए जाते हैं, तो अदालत ऐसी प्रथाओं की निंदा करने के अलावा, भारी लागत के साथ अपील को खारिज करने के लिए बाध्य होगी।

सिविल अपील सं**. 3783/1999**

यह अपील दावेदारों ने मुआवजा में वृदि ने के लिए दायर की थी। 13.4.2004 को बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा मामले पर पूरी बहस के बाद, इस आधार पर स्थगन की मांग की गई कि इस अपील में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शहर से बाहर था। चूंकि मामला बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील से जुड़ा था, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। 20.4.2004 को भी अपीलकर्ताओं की ओर से इस मामले पर जोर देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्यथा गुण-दोष के आधार पर भी हमें नीचे के न्यायालयों के आदेशों में कोई ऐसी दुर्बलता नहीं दिखती जिसके लिए हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

परिणामस्वरूप दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। बीमा कंपनी द्वारा दायर सी.ए. सं. 5463/ 1998 लागत के साथ खारिज की जाती है।

के.के. टी.

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****